

डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 20/2024-25 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्त आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

**इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली (डीईएल) के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि
(01-04-2024 -31.03.2029) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में**

जारी करने की तारीख : 28 मार्च, 2025

तृतीय तल, उड़ान भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

14 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए प्राधिकरण के निर्णयों का सार

अध्याय 2 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टू-अप

- 2.6.1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप तालिका 11 के अनुसार वैमानिक करों की गणना करते समय वैमानिक राजस्व से संबंधित वार्षिक शुल्क को खर्च के रूप में न मानना और वैमानिक करों को मानना।
- 2.6.2 तालिका 14 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप को मानना।
- 2.6.3 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टू-अप के दौरान 855.32 करोड़ रूपए की कम वसूली को चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण कार्य के भाग के रूप में मानना।

अध्याय 3 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टू-अप

- 3.7.1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप तालिका 22 के अनुसार वैमानिक करों की गणना करते समय वैमानिक राजस्व से संबंधित वार्षिक शुल्क को खर्च के रूप में न मानना और वैमानिक करों को मानना।
- 3.7.2 तालिका 25 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप को मानना।
- 3.7.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टू-अप के दौरान 3,256.61 करोड़ रूपए की अधिक वसूली को चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण कार्य के भाग के रूप में कर लगाकर वसूल करना।

अध्याय 4: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टू-अप

- 4.11.1 तालिका 26 के अनुसार वास्तविक आंकड़ों के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टू-अप के लिए यातायात को मानना।
- 4.11.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 80 के अनुसार कैपेक्स, वैमानिक मूल्यहास और आरएबी को मानना।
- 4.11.3 तालिका 83 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए डब्ल्यूएसीसी को मानना।
- 4.11.4 तालिका 173 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए वैमानिक प्रचालन और अनुरक्षण खर्च को मानना।
- 4.11.5 तालिका 179 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए राजस्व शेयर परिसंपत्तियों से राजस्व को मानना।
- 4.11.6 तालिका 181 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए वैमानिक राजस्व को मानना।
- 4.11.7 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप तालिका 185 के अनुसार वैमानिक करों की गणना करते समय वैमानिक राजस्व से संबंधित वार्षिक शुल्क को खर्च के रूप में न मानना और तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक करों को शून्य मानना।
- 4.11.8 817.69 करोड़ रूपए की अधिक वसूली (तालिका 189 के अनुसार) को चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के दौरान कर लगाकर वसूल करना।

अध्याय 5: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए यातायात अनुमान

- 5.6.1 तालिका 198 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के यातायात को मानना, जिसे पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर टू-अप किया जाएगा।

अध्याय 6: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यहास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

- 6.7.1 तालिका 255 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए कैपेक्स, मूल्यहास और आरएबी को मानना।
- 6.7.2 तालिका 225 और तालिका 229 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए एक्सपेंशन कैपेक्स के लिए आईडीसी की अनुमति देना।
- 6.7.3 तालिका 251 में उल्लेख किए अनुसार यदि कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूँजीकृत नहीं होती है तो लक्षित राजस्व से परियोजना की पूंजीकृत न की गई लागत की 1% राशि घटाना (समायोजित करना)। अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय इसकी जांच की जाएगी।
- 6.7.4 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वास्तव में वहन किए गए खर्च के आधार पर कैपेक्स पर (सीडब्ल्यूआईपी सहित) जीएसटी को मानना।
- 6.7.5 केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय V के अनुसार निवेश कर जमा राशियों के लेखांकन की जांच करना और पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना।
- 6.7.6 तालिका 255 में उल्लेख किए अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए आरएबी की गणना करते समय औसत आरएबी को मानना और पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आरएबी में वास्तविक परिवर्धनों के आधार पर वैमानिक पूंजीगत व्यय, मूल्यहास और आरएबी को उपयुक्त, कार्यक्षम और औचित्यपूर्ण होने की शर्त पर यथानुपात आधार पर व्यय को टू-अप करना।

अध्याय 7 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए औसतन भारित पूंजीगत लागत (डब्ल्यूएसीसी)

- 7.6.1 तालिका 259 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए ईक्विटी की लागत, ऋण की कार्यक्षम लागत, काल्पनिक ऋण, ईक्विटी अनुपात और डब्ल्यूएसीसी को मानना।
- 7.6.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक (या) एसबीआई औसत एक वर्ष एमसीएलआर प्लस 150 बीपीएस (जो भी कम हो) के आधार पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए ऋण की लागत को टू-अप करना।

अध्याय 8 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

- 8.6.1 तालिका 262 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति दरों को मानना।

अध्याय 9 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) खर्च

- 9.6.1 तालिका 310 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।
- 9.6.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य एवं कार्यक्षमता की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को टू-अप करना।

अध्याय 10 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए राजस्व शेयर परिसंपत्तियों से राजस्व

- 10.6.1 तालिका 341 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए राजस्व शेयर परिसंपत्तियों और एस फेक्टर से राजस्व को मानना।
- 10.6.2 यदि चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए राजस्व हिस्सेदारी परिसंपत्तियों से प्राप्त राजस्व, तालिका 341 में प्राधिकरण द्वारा माने जाने हेतु निर्धारित राजस्व से अधिक है, तो अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय राजस्व हिस्सेदारी परिसंपत्तियों से प्राप्त राजस्व को टू-अप करना।

अध्याय 11: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर

- 11.6.1 वैमानिक करों का परिकलन करते समय वैमानिक राजस्व से संबंधित वार्षिक शुल्क को खर्च के रूप में न मानना।

11.6.2 तालिका 344 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर्गों को मानना जिन्हें अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय टू-अप किया जाएगा।

अध्याय 12: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

12.6.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता के कारण कुल राजस्व अपेक्षा/लक्षित राजस्व में किसी भी समायोजन को नहीं मानना।

अध्याय 13 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए लक्षित राजस्व

13.6.1 तालिका 348 के अनुसार डायल के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए लक्षित राजस्व और वाईपीपी को मानना।

13.6.2 तालिका 349 के अनुसार डायल के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित वैमानिक राजस्व को मानना।

13.6.3 संलग्नक 1ए- टैरिफ दर कार्ड के अनुसार डायल के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए 16 अप्रैल, 2025 से लागू टैरिफ दर कार्ड को मानना।

13.6.4 संलग्नक 1बी- परिवर्ती टैरिफ योजना के अनुसार 16 अप्रैल, 2025 से लागू परिवर्ती टैरिफ योजना को मानना।

13.6.5 डायल को यह निर्देश देना कि वह सुनिश्चित करे कि इकाओं के गैर-भेदभाव के सिद्धांतों का उल्लंघन न हो।

13.6.6 डायल को निर्देश देना कि वह सभी हितधारकों और प्राधिकरण की जानकारी के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के दौरान दिए गए प्रोत्साहनों, अर्जित राजस्व और इस संबंध में किए गए व्यय का अलग-अलग रिकॉर्ड रखे, ताकि आगामी नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के लिए सुविचारित दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

15 टैरिफ आदेश

- 15.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतद्वारा आदेश के संलग्नक-1 में दर्शाए अनुसार आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वसूली जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।
- 15.1.2 वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद्वारा आदेश के संलग्नक-1 पर दिए गए दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।
- 15.1.3 इसमें निर्धारित टैरिफ उच्चतम दरें हैं और इनमें कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।
- 15.1.4 ये दरें 16 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हैं।
- 15.1.5 डायल चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी प्राधिकरण को ठीक समय पर प्रस्तुत करेगी।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

श्री विदेह कुमार जयपुरिया, सीईओ,
डेल्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
न्यू उड़ान भवन,
टर्मिनल 3, के सामने आईजीआई एयरपोर्ट,
नई दिल्ली -110037

प्रतिलिपि;

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय,
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110 003
2. नागर विमानन महानिदेशालय :एआईसी जारी करने के लिए



